



उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा—2016

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :- 26/08/2016

आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि :- 31/08/2016

विशेष सूचना :- (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गई धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।" (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं0 देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एम एस द्वारा दिए जायेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें। "आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण- Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिंट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option payment system) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे : (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिंट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिंट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. **आवेदन शुल्क :** आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है:-

1- अनारक्षित (सामान्य)	परीक्षा शुल्क ₹0 100/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 125/-
2- अन्य पिछड़ा वर्ग	परीक्षा शुल्क ₹0 100/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 125/-
3- अनुसूचित जाति	परीक्षा शुल्क ₹0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 65/-
4- अनुसूचित जनजाति	परीक्षा शुल्क ₹0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 65/-
5- विकलांग श्रेणी	परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 25/-

शासकीय पत्र दिनांक 27.12.2012 के अनुसार उ0प्र0 न्यायिक सेवा में विकलांग अभ्यर्थी को उसकी श्रेष्ठता के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों में पात्रता का अधिकार प्राप्त है तथा उसका अन्तिम रूप से अनुमोदन उ0प्र0 न्यायिक सेवा नियमावली-2001 के नियम-14 में निर्धारित व्यवस्थानुसार इस बात पर निर्भर करेगा कि वह शारीरिक स्वस्थता नियम के अन्तर्गत मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे।

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
- भूतपूर्व सैनिक क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
- महिला क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ 'आन-लाइन' Submit कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन Submit करने की दशा में केवल अन्तिम Submit आवेदन ही मान्य होगा।

6. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा-2016 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

7. **रिक्तियाँ :** रिक्तियों की संख्या 218 है। पद अस्थाई परन्तु चलते रहने की संभावना है।

ऊर्ध्वाधर	क्षैतिज
सामान्य वर्ग	111
ओ0बी0सी0	58
अनु0जाति	45
अनु0जनजाति	04
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	04
महिला	43

नोट:-(1) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) पद हेतु अनुमन्य सभी प्रकार के आरक्षण उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं है वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित अंकपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. **वेतनमान:** ₹0 27700-770-35090-920-40450-1080-44770

9. **शैक्षिक अर्हता:** (क) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक उ0प्र0 में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नार्दर्न आयरलैंड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैंड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है। (ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

10. **आयु सीमा:-**(1) अभ्यर्थियों को आगामी वर्ष की 01 जुलाई, 2017 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1982 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1995 के बाद का नहीं होना चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को भी अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु आरक्षण देय नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है। उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1977 से पूर्व नहीं होना चाहिए परन्तु विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश दिनांक 03-02-2008 के अनुसार 15 वर्ष शिथिलनीय होगी अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व नहीं होना चाहिए। **अध्यायचक्रानुसार सरकारी कर्मचारी प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं किन्तु उन्हें कोई छूट अनुमन्य नहीं है। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 दिनांक 19 मार्च, 2003 के नियम-10 के अनुसार किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की संख्या अधिकतम चार है।**

"मा0 उच्च न्यायालय ने उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 आयु सीमा नियमावली (दसवां संशोधन) 2012 के अन्तर्गत उच्च आयु सीमा 35 से 40 वर्ष अंगीकार नहीं किया है।"

11. **महत्वपूर्ण निर्देश:**

(1) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। (2) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वस के लिए वृद्धि की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976 -का-2-85, दिनांक 30-01-85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-**(क)** आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गयी है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है। **(बी)** आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तुरन्त अवमुक्त करा लेंगे। आपातकालीन/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि (अ) उन्हें सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। **(ब)** वह त्यागपत्र देकर सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ हो **(स)** वह सैन्य सेवा में कदाचार के कारण अवमुक्त हुए हों। (3) **चरित्र:-** सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह राज्यपाल की राय में सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय से विवर्जित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के लिए दंडादिष्ट कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। (4) **वैवाहिक प्रास्थिति:-**सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो। (5) **शारीरिक स्वस्थता:-**किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे। (6) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आहूत किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा एतदर्थ निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रादि भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा

के लिए शुल्क भी जमा करना होगा, जो निम्नवत् होगा:— सामान्य अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200 /— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— = रू0 225 /— तथा उ0प्र0 के अनु0जाति एवं उ0प्र0 के अनु0 जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क रू0 80 /— एवं आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— = रू0 105 /— निर्धारित है। कैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शुल्क अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल आन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /— ही जमा करेंगे। (7) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा अंकपत्र/प्रमाण पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अंतिम शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट—4 में उल्लिखित परीक्षा योजना व परिशिष्ट—5 में अंकित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिव्यस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामले में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। (11) आयोग आवेदन पत्रों की सरसरी तौर पर जांच करके अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि पद हेतु चुन लिया गया है तो भी आयोग अपनी संस्तुतियाँ वापस ले सकते हैं। (12) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अपने अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। (13) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है। (14) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं0, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (15) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रारम्भिक परीक्षा में 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और साक्षात्कार हेतु 1:3 के अनुपात में सफल घोषित किये जायेंगे। (16) किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसी सूचना दिये जाने पर, जो प्रमाण पत्रों के आधार पर सिद्ध न हो सके, उसे अगले पाँच वर्षों के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। (17) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (18) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (19) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा—2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित सपठित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर ही अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं शुल्क मुक्ति का लाभ अनुमन्य होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (20) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (21) आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिव्यस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (22) ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (23) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (24) उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही—सही सूचनाएं काले बाल प्वाइंट पेन से भरी जायें। उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'SUBMIT' बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट—3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों, विकलांगता से ग्रस्त तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या 3014 कार्मिक—2—1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या—453/79— वि—1—15—1(क)—14—2015 दिनांक 7.4.2015 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश दिनांक 7.4.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट—2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट—3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना परिशिष्ट—4 पर तथा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट—5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification

Personal Details:

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number. Candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and physical deformity.

Education &Experience Details

It shows educational and experience details of candidate.

Candidate Address, Photo & Signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration Segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidates have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

: -NOTIFICATIONS/ADVTs.

All Notification / Advertisements

: -ONLINE FORM SUBMISSION

1.Candidate Registration

2. Fee Deposition/Reconciliation

3.Submit Application Form

: -APPLICATION FORM STATUS

View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

: -EXAMINATION SEGMENT

Print Conventional Form and Address Slip (New)

: -DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card for RO/ARO Typing Test (New)

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट -1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signatue Space provided. Ensure that the signature is within the box,.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-

width = 3.5 cm

Photo

Signature

1.5 cm Height = 4.5 cm

परिशिष्ट—2

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं :- इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा व मेरठ।

परिशिष्ट—3

उ0प्र, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला

..... उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के

..... ग्राम तहसील

..... नगर जिला में सामान्यता रहता है।

स्थान हस्ताक्षर

.....

दिनांक पूरा नाम

मुहर पद का नाम

..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला

..... उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

Size: 38 cm x 25 cm = 950 sq. cm.

Page No. 2

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।	
श्री/श्रीमती/कुमारी	तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
..... तहसील	नगर
..... जिला	 में सामान्यतया रहता है।
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	पूरा नाम
मुहर	पद का नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार	
उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र	
CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.	
NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL	
Certificate No.....	
DISABILITY CERTIFICATE	
This is certified that Shri/Smt/Kum..... son/wife/daughter of Shri age..... sex..... identification mark(S)..... is suffering from permanent disability of following category.	
A. Locomotor or cerebral palsy :	
(i) BL-Both legs affected but not arms.	
(ii) BA-Both arms affected	
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip	
(iii) BLA-Both legs and both arms affected	
(iv) OL-One leg affected (right or left)	
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic	
(v) OA-One arm affected	
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic	
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)	
(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.	
B. Blindness or Low Vision :	
(i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind	
C. Hearing impairment :	
(i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf	
(Delete the category whichever is not applicable)	
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year..... months.	
3. Percentage of disability in his/her case is percent.	
4. Sh./Smt./Kum..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:	
(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No	
(ii) PP- can perform work by pulling and pushing. Yes/No	
(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No	
(iv) KC- can perform work by kneeling and crouching. Yes/No	
(v) B-can perform work by bending. Yes/No	
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No	
(vii) ST- can perform work by standing. Yes/No	
(viii) W-can perform work by walking. Yes/No	
(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No	
(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No	
(xi) RW- can perform work by reading and writing. Yes/No	
(Dr.....)	(Dr.....)
Member Medical Board	Member Medical Board
	Chairperson Medical Board
	Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)
Strike out which is not applicable.	
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।	
प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम-..... तहसील-..... नगर-..... जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांतिक अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।	
स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
	पदनाम
	मुहर
	जिलाधिकारी (सील)
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं	
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985	
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1	
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)	
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार	
की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।	
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।	
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।	
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	मुहर
नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	
प्रारूप-2	
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)	
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी ने दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।	
यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।	
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मुहर
नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	

प्राप्रूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा
श्रीनिवासी (पूरा पता)विश्वविद्यालय की कक्षा
के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ़ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
..... पद
..... संस्था का नाम
..... मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ़ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्राप्रूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा
श्रीनिवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूलर की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
..... पद
..... संस्था का नाम
..... पता
..... मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट-4

परीक्षा की योजना

प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमशः तीन चरण होंगे यथा: (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

परिशिष्ट-5

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम समय: 2 घंटे अंक-150 सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।
इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय समय: 2 घंटे अंक-300 विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।
(i) विधि शास्त्र (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण (iv) भारतीय संविधान (v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (vii) भारतीय दंड संहिता (viii) सिविल प्रक्रिया संहिता (ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (x) संविदा विधि

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या-1 सामान्य ज्ञान अंक-200

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या-2 भाषा:

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न समाविष्ट होंगे।
(1) अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध 60 अंक
(2) अंग्रेजी में सार लेखन 60 अंक
(3) हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद 40 अंक
(4) अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद 40 अंक

प्रश्न पत्र संख्या-3 विधि-1 (मौलिक विधि)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-
संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्पा के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्पा के सिद्धान्त, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।
50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या-4 विधि-2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-
साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया-संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता। दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद-विन्दुओं की विरचना, गवाहों के स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या-5 विधि-3 (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे:-
भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये पर बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।
स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

6. साक्षात्कार:-

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। टिप्पणी-(1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।
(2) किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।

सचिव

